न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप, जिला–जोधपुर
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण

अमूराम पुत्र बलवन्ताराम
भेरनराम पुत्र बलवन्ताराम
प्रतापाराम पुत्र बलवन्ताराम
सुखी देवी पत्नि रामपाल
भरमती पत्नि राजपाल
रामपाल पुत्र भगवानाराम
राजपाल पुत्र भगवानाराम
मनोहरी पत्नि खमूराम
गुणपतराम पुत्र गोमाराम
जाति विश्नोई निवासी खिदरत
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जगमाल पुत्र गोमाराम
2. बाबूराम पुत्र गोमाराम
   जाति विश्नोई निवासी खिदरत
   तहसील बाप जिला जोधपुर
3. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 102 / 2018

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 03/12/2019

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर में खसरा नंबर 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 की स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ पेश है।

वादीगण का उक्त विवादग्रस्त भूमि में कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित भूमि पर अपनी पक्की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पालतु मवेशियों के लिये बाड़ा इत्यादि बना लिये है तथा उक्त रहवासीय ढाणी में वादीगण अपने परिवार सहित निवास करते आ है।

वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाकर इसी अनुसार

सहायक कलक्टर
बाप, जिला जोधपुर (राज.)

...नक्शा में ट्रैस में तरमीम करवाकर बंटवाड़ा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवाने की अधिकारी

इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस अमर की ...फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नंबर ... रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा ...र 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा भूमि बीघा भूमि वादीगण व ...वादीगण के बंट एवं हिस्सा की भूमि अनुसार वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में ...सी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें और न ही वादीगण को ...नके कब्जा काश्त की भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल करे, जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ...कील वादीगण ने रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये समन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल मिसल की गई। ...प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से न तो प्रतिवादी स्वयं न ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित ...आये। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार ने बंटवाड़ा किये जाने बाबत् किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से विरोध नहीं होने पर तनकीयात कायम नहीं की गई।

पत्रावली बहस में रखी गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। ग्राम खिदतर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे, साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादीगण को कोई उजर ऐतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु वकील वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है, अतः

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला जोधपुर (राज.)

...लदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर न्यायालय तदनुसार ...म डिकी जारी किया जाना उचित समझता है।

आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा ...र 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, ...सरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन ...ताव को स्वीकार किया जाता है एवं अंतिम डिकी जारी की जाती है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण ...व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र.स.	पक्षकारान् का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	विभाजन
1	खमूराम पि. बलवन्ताराम	369/2	09.11 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोइ सा.देह खातेदार	369/3	01.06 बीघा	
		450/1	09.18 बीघा	
		611/1	22.07 बीघा	
2.	मोहनराम पि. बलवन्ताराम	369/4	09.09 बीघा	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/5	01.07 बीघा	
		450/2	09.18 बीघा	
		611/2	22.08 बीघा	
		456/6	04.08 बीघा	
3	प्रतापाराम पि. बलवन्ताराम	369	09.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/6	01.09 बीघा	
		450	09.18 बीघा	
		611	22.07 बीघा	
		456	04.08 बीघा	
4	जगमाल पि. गोमाराम	369/7	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/8	00.13 बीघा	
		450/3	07.09 बीघा	
		455	00.06 बीघा	
		611/3	16.15 बीघा	
		456/1	03.00 बीघा	
5	गुणपतराम पि. गोमाराम	369/9	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/10	00.14 बीघा	
		450/4	07.08 बीघा	
		611/4	16.16 बीघा	
		456/2	03.06 बीघा	
6	बाबूराम पि. गोमाराम	369/11	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/12	00.13 बीघा	
		450/5	07.09 बीघा	
		611/5	16.15 बीघा	
		456/3	03.06 बीघा	
7	रामपाल पि. भगवाना	369/13	03.10 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/14	00.11 बीघा	
		450/6	03.14 बीघा	
		456/4	01.13 बीघा	
8	राजपाल पि. भगवाना	369/15	03.11 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369/16	00.11 बीघा	

सहायक कलेक्टर बाप

	450/7	03.14 बीघा	
	456/5	01.13 बीघा	
ीदेवी पत्नि रामपाल ते विश्नोई सा.देह खातेदार	611/6	08.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
मतीदेवी पत्नि राजपाल ति विश्नोई सा.देह खातेदार	611/7	08.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
ोहरी पत्नि खमुराम ते विश्नोई सा.देह खातेदार	456/7	04.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

अतः तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते कायम सी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग समझा ा। स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की जारी की है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 369 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर कबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा में वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी की दखलअंदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। नी फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
खमूराम पुत्र बलवन्ताराम		1. जगमाल पुत्र गोमाराम
मेहनराम पुत्र बलवन्ताराम		2. बाबूराम पुत्र गोमाराम
प्रतापाराम पुत्र बलवन्ताराम		जाति विश्नोई निवासी खिदरत
सुखी देवी पत्नि रामपाल		तहसील बाप जिला जोधपुर
भरमती पत्नि राजपाल		3. तहसीलदार बाप
रामपाल पुत्र भगवानाराम		
राजपाल पुत्र भगवानाराम		
मनोहरी पत्नि खमूराम		
गुणपतराम पुत्र गोमाराम		
जाति विश्नोई निवासी खिदरत		
तहसील बाप जिला जोधपुर		

बाबत् 53,188 आर.टी.एक्ट — मुकदमा संख्या:— 102 / 2019

मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे
जिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलहा होकर हुकम दिया जाता है कि व डिकी दी जाती है कि तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम खिदरत र क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नंबर 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 ा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा 456 रकबा 26.02 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है एवं अंतिम ी जारी की जाती है उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार ाडा किया जाता है :—

.स. पक्षकारान् का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	विभाजन
खमूराम पि. बलवन्ताराम	369 / 2	09.11 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोइ सा.देह खातेदार	369 / 3	01.06 बीघा	
	450 / 1	09.18 बीघा	
	611 / 1	22.07 बीघा	
मोहनराम पि. बलवन्ताराम	369 / 4	09.09 बीघा	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 5	01.07 बीघा	
	450 / 2	09.18 बीघा	
	611 / 2	22.08 बीघा	
	456 / 6	04.08 बीघा	
प्रतापाराम पि. बलवन्ताराम	369	09.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 6	01.09 बीघा	
	450	09.18 बीघा	
	611	22.07 बीघा	
	456	04.08 बीघा	
जगमाल पि. गोमाराम	369 / 7	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 8	00.13 बीघा	
	450 / 3	07.09 बीघा	
	455	00.06 बीघा	
	611 / 3	16.15 बीघा	
	456 / 1	03.00 बीघा	
गुणपतराम पि. गोमाराम	369 / 9	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 10	00.14 बीघा	

	450 / 4	07.08 बीघा	
	611 / 4	16.16 बीघा	
	456 / 2	03.06 बीघा	
बूराम पि. गोमाराम	369 / 11	07.09 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 12	00.13 बीघा	
	450 / 5	07.09 बीघा	
	611 / 5	16.15 बीघा	
	456 / 3	03.06 बीघा	
रामपाल पि. भगवाना	369 / 13	03.10 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 14	00.11 बीघा	
	450 / 6	03.14 बीघा	
	456 / 4	01.13 बीघा	
राजपाल पि. भगवाना	369 / 15	03.11 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	369 / 16	00.11 बीघा	
	450 / 7	03.14 बीघा	
	456 / 5	01.13 बीघा	
सुखीदेवी पत्नि रामपाल	611 / 6	08.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार			
0 भरमतीदेवी पत्नि राजपाल	611 / 7	08.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जाति विश्नोई सा.देह खातेदार			
1 मनोहरी पत्नि खमुराम	456 / 7	04.08 बीघा	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
जति विश्नोई सा.देह खातेदार			

अतः तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रकर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग समझा जायेगा। स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 369 रकबा 65.00 बीघा, खसरा नंबर 450 रकबा 59.08 बीघा, खसरा नंबर 455 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 611 रकबा 134.04 बीघा व खसरा नंबर 456 रकबा 26.02 बीघा में वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य किसी से करावे। । नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 12 सन् 2019 जारी की गई।

(महावीर सिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 17:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: